


जेजीएम/एडमिन (सीपीआईओ),  
डीएफसीसीआईएल, कार्पोरेट ऑफिस,  
न्यू दिल्ली।

**विषय:** जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** निगम कार्यालय के पत्र सं0 2023/HQ/Admin/RTI/1062 दिनांक 01.12.2023.

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-8 की उपधारा (g) & (J) व धारा 11 के अन्तर्गत आवेदनकर्ता के तृतीय पक्षकार होने के कारण चाही गयी सूचना को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।



परियोजना प्रबन्धक / विद्युत,  
जनसूचना अधिकारी, मेरठ।

**प्रतिलिपि:**

- (1) महाप्रबन्धक (समन्वय)/मेरठ – को सूचनार्थ हेतू प्रेषित है।
- (2) जीएम/एमए/ईसी-III – को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
- (3) जेजीएम/एमए/ईसी-II – को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।